Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], डॉ. अमित कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424678

सारांश

पिछले 78 सालों में भारतीय महिलाओं की स्थिति में घर की चारदीवारी से बोर्ड रूम तक बदलाव आया है। महिलाएं अब 'सहनशील' से 'निर्णायक' बन रही हैं। वो त्याग भी कर रही है और चुनाव भी कर रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति तेजी से बदल रही है। शिक्षा, कानूनी अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकालकर निर्णय लेने की क्षमता दी है। वे कॉर्पोरेट जगत, राजनीति, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की साक्षरता दर में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में लड़कियों का नामांकन तेजी से बढ़ा है, जिससे वे अधिक जागरूक और मुखर हुई हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों में कमी आई है। समाज में महिलाओं की गरिमा को स्वीकार किया जा रहा है और एकल परिवार प्रणाली ने महिलाओं को घर में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया है। संपत्ति में समान अधिकार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों ने महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान किया है। महिलाएं पारंपरिक नौकरियों से आगे निकलकर कॉर्पोरेट नेतृत्व, स्टार्ट–अप, तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। वे अब केवल आश्रित नहीं, बल्कि परिवार की मुख्य आर्थिक स्तंभ हैं। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन अब परिवारों में लिंग आधारित श्रम विभाजन टूट रहा है। आज महिलाएं परंपराओं को ढोने के साथ–साथ आधुनिक मूल्यों का भी संतुलन बना रही है। तकनीक भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी को नए सिरे से लिख रही है, उन कक्षाओं से लेकर जहाँ लड़कियाँ रोबोटिक्स सीखती हैं, उन गाँवों तक जहाँ माताएँ टेलीमेडिसिन का उपयोग करती हैं, और जन धन खातों तक जहाँ सीधे महिलाओं के हाथों में रुपया जाता है। समावेशी रूप से डिजाइन किए जाने पर डिजिटल उपकरण जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव, कार्यबल में भागीदारी का कम अनुपात और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह शोध पत्र भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करता है।

आलेख सूचना
प्राप्त: 24 अक्टूबर, 2025 **स्वीकृत:** 30 नवंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025
सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 40
मुख्य शब्द: भारतीय नारी, परंपरा परिवर्तन, तकनीकी सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी का औचित्यपूर्ण स्थान रहा है। नारी अपनी सृजनशीलता और कलात्मक प्रवृत्तियों से नर की सृष्टि को पूर्णता प्रदान करती आ रही है। 'नारी' शब्द 'न' धातु से नहीं, बल्कि 'नर' शब्द से बना है, जो कि स्वयं 'नृ' धातु से उत्पन्न हुआ है। 'नर' शब्द का अर्थ है वीर, नेता, गति करने वाला या क्रियाशील व्यक्ति और 'नारी' इसी का स्त्रीलिंग रूप है।

वेदों में नारी के गौरव का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। एक स्थान पर नारी को ब्राह्मण कहा गया है कि वह स्वयं विदुषी होते हुए अपनी सन्ता को सुशिक्षित बनाती है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठाता है ("स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ"–ऋग्वेद 8 ।33 ।19)। वेदों में नारी का गौरवमय स्थान इससे भी ज्ञात होता है कि नारी को ही घर कहा गया है अर्थात् घर, घर नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है। गृहिणी के द्वारा ही गृह का अस्तित्व है (जायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनि स्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु।।–ऋग्वेद 3 ।53 ।4)। यजुर्वेद में नारी पर कई श्लोक हैं, जो उसकी गरिमा को दर्शाते हैं कि हे नारी! तू महाशक्तिमती है। तू सुव्रती संतानों की माता है। तू भरपूर क्षात्रबल से युक्त है (मंहीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम। तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशर्माणमदितिं सुप्रणीति।।–यजुर्वेद 21 ।5)। इसी प्रकार, तुम सन्तान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना, स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है (स्वैर्दक्षेर्दक्षपितेह सीद, देवानाऽसुम्ने बृहते रणाय"–यजुर्वेद14 ।3)। इस तरह वेद स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देते हैं अर्थात वैदिक काल में महिलाओं को समाज में समान व महत्वपूर्ण स्थान तथा सम्मान प्राप्त था।

वेदों की ही तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नारी का गौरव वर्णित है। यहाँ नारी को सावित्री कहा गया है ("स्त्री सावित्री" जैमिनीय उप. ब्रा. 25 ।10 ।17)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे आत्मा का अर्द्धांश बताया है ("अर्धो वा एष आत्मनः यत पत्नी" तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 ।3 ।3 ।5)। इसी में एक अन्य स्थान पर बताया गया है कि नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है, इसलिए सपत्नीक यज्ञ करें ("अयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः" तैत्तिरीय ब्राह्मण 2 ।2 ।2 ।6)। यही नहीं शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना जीवन अधूरा है ("यावत् जयाँ न विन्दते, असर्वो हि तावद् भवति" शतपथ ब्राह्मण 5.2.1.10)। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री के अपमान को निन्दनीय माना गया है ("न वै स्त्रियं हनन्ति"। शतपथ ब्राह्मण 11.4.3.2)। तैत्तिरीय के अनुसार पत्नी गृहलक्ष्मी है, साक्षात श्री है ("श्रिया वाएतद् रुप्यं यत् पत्नयः" तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.9.4.7)। उपनिषदों ने भी नर और नारी में कभी भेद किया ही नहीं। उन्होंने नर और नारी दोनों में ही एक ही तत्व का अस्तित्व, एक ही चेतना की छाया देखी है।

स्मृतिकारों ने नारी को विशेष सम्मान दिए हैं। मनु का कहना है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देव निवास करते हैं। जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ प्रगति, उन्नति की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ("यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः।"–मनुस्मृति 3 ।56 ।8)। वृहत्संहिता में कहा गया है कि सत्यवती स्त्री अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से सहस्रों पुरुषों का उद्धार यानि श्रेष्ठता की दिशा का मार्गदर्शन करती है ("पुरुषाणाँ सहस्रं च सती स्त्री समुद्धेरत"–वृहत्संहिता)। व्यास संहिता में कहा गया है कि पत्नी के प्राप्त होने के पूर्व तक पुरुष अधूरा है ("यायन्त विन्दते जायाँ, तावदर्धोभवेतपुमान"–व्यास संहिता)।

अन्य शास्त्रकारों की ही भाँति पुराणों में भी नारी की गरिमा का उल्लेख है। मार्कण्डेय पुराण में समस्त स्त्रियाँ और समस्त विधाएं देवी शक्ति का ही स्वरूप माना गया है (विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु॥–मार्कण्डेय पुराण)। तन्त्रशास्त्र के प्रणेता तो शक्ति के उपासक ही रहे हैं। यही कारण है कि उनकी नारी के प्रति श्रद्धा, पुराणकारों से भी कहीं अधिक मुखर ढंग से अभिव्यक्त हुई है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि स्त्री पुरुषों की धार्मिकता है ("नृधर्मान् नारी, नरस्यापि नारी" महाभाष्य 4 ।4 ।9)। आचार्य यास्क के मत में स्त्री का स्त्रीत्व उसके लज्जाशील होने में ही है ("स्त्रियः स्त्यायन्ते अपत्रपणकर्मणः" निरुक्त 3 ।21 ।2)। ऐसा अर्थ आचार्य दुर्ग ने भी निरुक्त की टीका में लिखा है कि लज्जार्थस्य लज्जन्ते अपि ताः अर्थात् वे लजाती हैं, इसलिए स्त्री हैं। भाष्यकार के मत में 'गुणानां स्त्यानं स्त्री' अर्थात् शब्द, स्पर्श, रुप, रस एवं गन्ध आदि सबकी खान है स्त्री। नारी के लिए प्रयुक्त 'स्त्री' शब्द जितना अधिक व्यापक है, उतना ही अधिक प्रचलित भी है। यह स्त्री शब्द आज भी भारत की लगभग सभी भाषाओं में अपना स्वरूप किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित नारी की विशिष्टता का आधार उसकी अन्तर्निहित क्षमता एवं सद्गुण सम्पत्ति है, जिसे प्राचीन भारत में विकसित होने के संपूर्ण अवसर थे। यही नहीं प्राचीन पूर्वजों के मन में उसके लिए भरपूर सम्मान और समता की भावना थी। इसलिए नारी की वर्तमान उपेक्षित स्थिति के लिए वेद, शास्त्र, पुराण आदि को दोष देकर अर्थहीन विवाद खड़े करते रहने और ठोस कार्य कुछ न करने के स्थान पर जरूरत इस बात की है कि नारी को पुनः वैसा ही सक्षम, समर्थ बनाया जाए, जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है।

उपर्युक्त अनुशीलन के साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन नारी की स्थिति का परिचय सही रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वेदों में वर्णित समाज में स्त्री–पुरुष में किसी भी प्रकार के विभेद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अनेक वैदिक मन्त्रों से वेदों में भावनात्मक दृष्टि से भी नारी का समान रूप से आदर का भाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक मनीषियों ने नारी शिक्षा के महत्व के साथ–साथ नारी के लिए सभी क्षेत्रों में भी समानता के अधिकार की बात कही है। नारी के शिक्षा, धर्म, विवाह, राजनीति एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता की चर्चा वेदों में की गयी है, जिन्हें विभिन्न उदाहरणों से समझा जा सकता है।

प्राचीन भारत में नारी को अध्ययन–अध्यापन में समान अधिकार प्राप्त था जैसा कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है कि ″देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः। भीमा जाया ब्राह्मस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्।।"(ऋग्वेद–10।109।41), ″ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम" (अथर्ववेद–11।5।18) और ″अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी" (ऋग्वेद–10।159।2) अर्थात् ब्रह्मचर्य सूक्त एवं ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करके ही विवाह करे, वह ज्ञानवती एवं शत्रुनाशिका हो। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती, आत्रेयी एवं अनुसूया सदृश नारियों का अस्तित्व इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वैदिक काल में नारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

प्राचीन भारत में नारी को विवाह की स्वतन्त्रता थी, जैसाकि ऋग्वेद में कहा गया है कि नदियां जैसे स्वयं समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार कन्याएं भी युवक का वरण करती हैं (″युवतयो युवानं परिसन्त्यापः" ऋग्वेद–2।35।4)। प्राचीन भारत में नारी को श्रवण एवं वाचन का अधिकार भी था कि ″गुहा चरन्ती मनुषो न योषा समावती विद्ययेव संवाक" (ऋग्वेद–1।167।3) और ″आ विदथमावदासि" (अथर्ववेद–14।1।21) अर्थात् स्त्री स्वयं रथ का चयन, उस पर आरोहण कर संस्थाओं में श्रोत्री एवं वक्त्री के रूप में स्वतंत्रतया अधिकारिणी है।

प्राचीन भारत में नारी को राजनीति में समान अधिकार प्राप्त था, जैसाकि यजुर्वेद में कहा गया है कि राजा के समान नारियों की भी राजकार्य में सहभागिता होनी चाहिए (यजुर्वेद–13।18)। न्याय व्यवस्था में भी वह समान रूप से भाग ले सकती हैं (यजुर्वेद–13।7)। वहीं सोलहवें अध्याय के चवालीसवें मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि शूरवीर स्त्रियों की भी सेना होनी चाहिए और उन्हें भी युद्ध करना चाहिए (यजुर्वेद–16।44)। ऋग्वेद के एक मन्त्र में स्त्रियों की सेना का उल्लेख प्राप्त होता है ('स्त्रिया हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेनाः' ऋग्वेद–5।10।9)।

प्राचीन काल से नारी मातृशक्ति की प्रतीक रही है। वैदिक काल के समकालीन शास्त्रों में भी नारीशक्ति का महान गौरव दृष्टिगोचर होता है। 'मातृदेवो भव', 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' (मनुस्मृति–3।56।8) इत्यादि सूक्तियों का संदेश रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों पर दृष्टि डालें तो यही प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रकार के चिंतन का केंद्र बिन्दु नारी ही रही है, जैसे आचार अध्याय में ब्रह्मचारी प्रकरण में स्त्री संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है। विवाह प्रकरण में कन्या लक्षण, कन्यादान, ब्राह्मविवाह, कन्याहरण दण्ड, व्यभिचार, पतिव्रता स्त्री, स्त्री कर्तव्य, स्त्री धर्म इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गयी है। व्यवहार अध्याय में नारी से संबंधित स्त्री संग्रहण आदि अनेक पक्षों का विश्लेषण किया गया है।

2. महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति : द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल देश में बौद्ध और जैन के उदय का दौर था, जिसमें महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन पर गौर करें तो बौद्ध काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में मिश्रित परिवर्तन हुए हैं। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को मठों में प्रवेश और निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार देकर आध्यात्मिक समानता प्रदान करने के बावजूद पारंपरिक विवाह और परिवार की भूमिका कायम रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के समान शैक्षिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। इस दौर में महिलाओं को कुछ हद तक शिक्षा का अवसर मिला, लेकिन यह पुरुषों के बराबर नहीं था और उन्हें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में समान स्वतंत्रता नहीं थी। विवाह और परिवार को बनाए रखना महिलाओं का मुख्य कार्य बना रहा। कुछ साक्ष्यों से बाल विवाह प्रचलित प्रतीत होता है, लेकिन परिपक्व और विलंब विवाह भी होते थे। कुछ महिलाएं, विशेषकर राज परिवारों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थीं। उदाहरण के लिए, सातवाहन रानी नयनिका और वाकाटक राजकुमार प्रभावती ने अपने नाबालिग पुत्रों की ओर से शासन किया। इस दौरान विशाखा जैसी महिलाएं अपनी दानशीलता के लिए प्रशंसित हुई हैं। चीनी यात्रियों के अनुसार, 7वीं शताब्दी में महिलाओं के मठ मौजूद थे, जो उनकी सामाजिक भूमिकाओं के विस्तार को दर्शाता है। हालांकि, बौद्ध साहित्य में महिलाओं के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण थे। एक ओर उन्हें 'पाप' और 'दुष्ट' के रूप में चित्रित किया गया, दूसरी ओर, उन्हें 'शुभ' और 'निस्वार्थ' के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में कुछ प्रतिबंध बने रहे, जो कुछ भिक्षुणियों की दुर्दशा और उनकी कुछ मांग पर बुद्ध के पुनर्विचार से स्पष्ट होता है।

जैन काल में महिलाओं के सामाजिक परिवर्तनों में उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और भागीदारी में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें साध्वी बनने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने का अवसर मिला। उन्हें विवाह स्वीकार करने या ब्रह्मचर्य का पालन करने की स्वतंत्रता थी, उन्होंने धार्मिक कार्यों में भी योगदान दिया। हालाँकि, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और भिक्षुणियों से जुड़ी कुछ सीमाओं के कारण पूर्ण समानता नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में भिक्षुओं से कमतर माना जाता था। जैन संघ की संरचना में भिक्षुणियों को पुरुषों के समान सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें कुछ मामलों में भिक्षुओं से कमतर माना जाता था। हालांकि भिक्षुणियां इकाइयों की प्रमुख हो सकती थीं, फिर भी वे आचार्यों के प्रति उत्तरदायी थीं। धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के बावजूद, भिक्षुणियों को अक्सर पुरुष सहकर्मियों का सम्मान करना पड़ता था। शिक्षित होने के बावजूद, कई गृहस्थ जैन महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पति पर

निर्भर रहना पड़ता था। जैन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल नहीं हुई। जहाँ उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था और कुछ रूढ़िवादी सोच के कारण उन्हें कई सीमाओं का सामना करना पड़ा है। इस तरह, महाजनपद काल में देश में सामान्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक भूमिकाओं में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ है।

3. उत्तर प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति : मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति में सामाजिक परिवर्तन संतोषजनक था, जिसमें उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की आयु 12 वर्ष और पुरुष की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। दहेज प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्वतंत्र जीवन जीने वाली विधवाओं को 'छंदवासिनी' और धनी विधवाओं को 'आढय' कहा जाता था। प्रशासनिक भूमिकाओं में स्त्रियाँ गुप्तचर के रूप में भी काम करती थीं, जिन्हें 'कूटनी' कहा जाता था। सम्राट की अंगरक्षिका के रूप में भी महिलाएँ कार्य करती थीं। गणिकाओं को राजकोष का हिस्सा माना जाता था और उनकी फिरौती की राशि 24000 पण निर्धारित थी। गणिकाओं को गायन और नृत्य जैसी कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। मौर्य काल में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। कुछ शर्तों के साथ, उन्हें उत्तराधिकार का भी अधिकार था जैसे यदि पति की मृत्यु पुत्रहीन अवस्था में होती थी, तो विधवा को अपने पति की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था। बेटियों को भी विधवा की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार था। इस तरह, मौर्य युग में महिलाओं के अधिकार उनके वर्ग और स्थिति पर निर्भर करते थे। महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी, उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी और समाज में उनका सम्मानजनक स्थान था। समकालीन लेखक मेगस्थनीज के अनुसार, भारत में गुलामी की कोई अवधारणा नहीं थी।

गुप्त और गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जहाँ शिक्षा, सामाजिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध बढ़ गए। महिलाओं की आर्थिक आजीविका के लिए पुरुषों पर निर्भरता बढ़ी, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हुई। स्त्रीधन (जैसे आभूषण, उपहार) के अलावा, अचल संपत्ति पर अधिकार बहुत सीमित था। कई कानूनों ने उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना, विशेषकर विवाहित पुत्रियों को। इस दौर में शिक्षा का स्तर गिरा और महिलाओं को मुख्यतः घरेलू कामों तक सीमित कर दिया गया। विवाह में दहेज प्रथा की व्यापकता देखी गई। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसा कि ऐरण में भानुगुप्त के शिलालेख से पता चलता है। नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था कमजोर हुई है। इस काल में प्रभावती गुप्ता जैसी महिलाएँ भी थीं, जो राजनीतिक शक्ति रखती थीं और सामाजिक मानदंडों को तोड़ सकती थीं। लेकिन उच्च वर्गों की महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय थी। जबकि निम्न वर्णों की महिलाओं को आजीविका कमाने की स्वतंत्रता थी, जो उच्च वर्णों की महिलाओं के पास नहीं थी। कुछ महिलाएँ धर्म परिवर्तन कर सकती थीं, जैसा कि गहडवाल शासक की पत्नी कुमार देवी बौद्ध बनीं थी।

4. पूर्व मध्य काल में महिलाओं की स्थिति : पूर्व मध्यकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत गिरावट आई, जिसमें सती प्रथा, बाल–विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं बढ़ीं, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। इस दौर में संभ्रांत परिवारों में विधवाओं को पति के साथ सती होने के लिए मजबूर करने के साक्ष्य मिलते हैं, और कुछ परिस्थितियों में महिलाओं ने जौहर किया है। मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशियों के डर से बाल–विवाह को बढ़ावा मिला, जिससे कम उम्र में ही बालिकाओं के विवाह हो जाते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशियों के आगमन के बाद पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा (जहां मुसलमानों का प्रभाव नहीं था, वहाँ स्त्रियाँ पर्दे का पालन नहीं करती थी। गौरी शंकर ओझा, मध्यकालीन, भारतीय संस्कृति, पृष्ठ–54, जवाहर लाल नेहरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पृष्ठ–242), जिससे महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम हो गई। दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा, जो बाल–विवाह और कन्या–हत्या जैसी कुप्रथाओं का कारण बना। तलाक की प्रथा प्रचलित हुई और वेश्यावृत्ति भी एक सामाजिक समस्या बन गई थी। परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक भूमिकाएं काफी सीमित हो गई। बाल–विवाह और पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट आई, जिससे महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने जैसे अधिकार भी नहीं रहे। कुछ महिलाएं रानी और शासक बनीं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, पुरुष–प्रधान समाज के कारण यह बहुत कम महिलाओं तक ही सीमित था। प्रारंभिक मध्यकाल में महिलाओं के पास महत्वपूर्ण भूमि अधिकार थे। कुछ मामलों में पति की मृत्यु के बाद विधवा को उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल जाता था। लेकिन इस दौर में भूमि और संपत्ति के अधिकार भी सीमित हो गए।

5. मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति : मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उनमें प्रथागत बुराइयों के पनपने के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह और सती प्रथा का

प्रचलन बढ़ा, जिससे महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को शिक्षा के अवसरों से दूर रखा गया, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। महिलाओं पर कई धार्मिक और सामाजिक बंधन थे, जैसे कि पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, जो उनके जीवन को कठिन बना देते थे। इसके बावजूद कुछ महिलाओं ने राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भक्ति आंदोलन ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। चाँद बीबी, रानी दुर्गावती और नूरजहाँ ने भी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कई महिलाओं ने साहित्यिक योगदान दिया, जैसे कि मुगल राजकुमारियों ने लेखिका के रूप में योगदान दिया। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया, जिससे उनकी सामाजिक पहचान मजबूत हुई। मीराबाई जैसी महिला संत कवयित्रियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर और गुरु नानक जैसे गुरुओं ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के सिद्धांत का प्रचार किया और महिलाओं को धार्मिक संस्थानों में नेतृत्व करने की अनुमति दी।

मराठा काल में महिलाओं की सामाजिक भूमिकाओं में परिवर्तन दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों के बीच थे। एक ओर, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। दूसरी ओर, जीजाबाई जैसी शक्तिशाली शासक महिलाओं का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ने भी महिलाओं की धार्मिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस तरह, मध्यकालीन भारत में सामान्य महिलाओं को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन बाधाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका ने उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और भक्ति आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों ने भी उनकी स्थिति को सुधारने में मदद की है।

6. ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति : ब्रिटिश काल में समाज के संभ्रांत परिवारों में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन था, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को सीमित करती थीं (दिवेदी, 2020)। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और वे प्रायः अशिक्षित थीं। महिलाओं में साक्षरता दर इतनी कम थी कि लगभग 100 में से सिर्फ एक महिला ही पढ़–लिख सकती थी। शिक्षा की कमी और पुरुषों के मुकाबले कम वेतन ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। उनकी पहचान मुख्य रूप से परिवार की सीमाओं तक सीमित थी। रूढिगत प्रथाएँ महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता को बुरी तरह सीमित करती थीं। संभ्रांत परिवारों में पति के मरने पर विधवा को उसके साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, एक गंभीर सामाजिक समस्या थी, हालांकि यह कुछ विशेष जातियों, संभ्रांत परिवारों और क्षेत्रों तक ही सीमित थी। विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं के काम करने के अवसर कम थे और यदि उन्हें काम मिलता भी था, तो उनका वेतन पुरुषों से बहुत कम होता था। इस तरह, ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। शिक्षा की कमी और पुरुषों के मुकाबले कम वेतन ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। हालांकि, ब्रिटिश काल में समाज सुधारकों और ब्रिटिश शासन के प्रयासों से इन कुप्रथाओं को खत्म करने की शुरुआत हुई।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए गए। इस दौरान महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला और सुधार आंदोलनों ने भी महिला अधिकारों और सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी सुधारों जैसे कि संपत्ति के अधिकार और विवाह कानून में बदलाव किए गए, जिससे महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया, जिससे महिलाओं को अपनी जान देने से रोका गया। बाल विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधारकों ने प्रयास किए, हालांकि इसका उन्मूलन नहीं हो सका। विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई संगठन बनाए गए, जिनमें विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं, जिसमें बालिका विद्यालयों की स्थापना और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था। इस दौर में महिला भारतीय संघ जैसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 के विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम ने महिलाओं को अपनी संपत्ति का मालिक बनने का अधिकार दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) ने विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया, जिससे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। अधिनियम ने विवाह और तलाक से संबंधित कुछ कानूनों में सुधार किया, जिससे महिलाओं को कुछ हद तक कानूनी अधिकार मिले। विशेष विवाह अधिनियम (1872) ने अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की, जिससे लोगों को पारंपरिक सामाजिक सीमाओं से परे विवाह करने की स्वतंत्रता मिली। महिलाओं ने धीरे–धीरे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई महिला संगठनों ने

मताधिकार जैसे अधिकारों की मांग की। महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का एक नया मार्ग था।

औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों की दिशा में काम किया। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का काल था। इस अवधि में ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में विभिन्न सामाजिक सुधार नीतियों की शुरुआत की, जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक थीं। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा। उदाहरण के लिए, सती प्रथा उन्मूलन (1829), विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), और बाल विवाह के खिलाफ कानूनी पहलें, महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम थे (शर्मा, 2019, गुप्ता, 2020)। दूसरी ओर, ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने भारतीय महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं और संरचनाओं को चुनौती दी, जिससे मिश्रित परिणाम सामने आए (कुमार, 2021)। हालांकि, इन सुधारों के सीमित दायरे और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुँच की कमी के कारण इनका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं था।

7. आजादी के बाद नारी सशक्तिकरण : आजादी के बाद भारत में नारी सशक्तिकरण एक लंबी और निरंतर चलने वाली यात्रा रही है। कानूनी अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कार्यक्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया और बहुविवाह पर रोक लगाई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए।

महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को विकास और अधिकारिता के विविध आयामों में शक्तिशाली बनाने से है। इसमें वे स्थितियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनसे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं, अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में उनके अधिकार एवं स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। नारी ने अपने सद्व्यवहार, त्याग, आचरण और निर्माण शक्ति से परिवार एवं समाज को प्रभावित कर सदा सन्मार्ग दिखलाया है। नारी सदैव मनुष्य के लिए पथ–प्रदर्शिका रही है। हमारी सांस्कृतिक विशिष्टताएं समाज में सर्वदा नारी का एक सम्मानित स्थान देती रही हैं। हमारी इतनी विस्तृत एवं विश्व प्रसिद्ध संस्कृति होने के उपरान्त भी जब नारी उत्थान की बात चलती है तो अनायास ही मस्तिष्क में यह प्रश्न उभरता है कि सृष्टि के प्रारम्भिक काल में जब नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, तो क्या कभी नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय भी रही होगी। वास्तविकता यह है कि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों में भी अन्तर आया है। एक समाज में किसी व्यक्ति विशेष को उच्च स्थान प्राप्त होता है, वहीं दूसरे परिवेश में वही व्यक्ति निम्न स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, यही स्थिति नारी की भी हुई है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि देश में लम्बे अतीत से लैंगिक असमानता और समाज में पुरुष की प्रधानता रही है। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा दबाया जाना, उनके प्रति की गयी विविध प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव जैसे देवदासी, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह आदि प्रतिगामी परम्पराओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत पतित किया है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। भेदभावपूर्ण विधानों के साथ ऐसी कुप्रथाओं का कारण पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता रही है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर की ओर ले आता है, जो देश की विकास प्रक्रिया को समावेशी और प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी बनाता है अर्थात को पीछे की ओर धकेलता है।

7.1. महिलाओं में तकनीकी सशक्तिकरणः पिछले दशकों में तकनीक और डिजिटलीकरण की प्रगति ने हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित किया है। इसने विशेष रूप से भारत में महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान किए हैं। भारत के तकनीकी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है, जो यह दर्शाती है कि समय के साथ बढ़ते सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विकास पर केंद्रित रणनीतियों ने महिलाओं को मजबूती प्रदान की है। विशेषज्ञ स्टाफिंग कंपनी एक्सफेनो के अनुसार, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर पूर्णकालिक हाइब्रिड (रिमोट वर्किंग, वर्क–फ्रॉम–होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल) नौकरियों के केंद्र बन गए हैं, जो ऐसे अवसरों का 39 प्रतिशत हिस्सा हैं। इन वर्किंग मॉडलों को अपनाने

वाले प्रमुख क्षेत्रों में आईटी सेवाएँ, तकनीकी स्टार्टअप, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर विकास और बैंकिंग शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से उपलब्ध कुल हाइब्रिड नौकरियों के 38 प्रतिशत का योगदान करते हैं। यह बदलाव काम की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हुए नौकरी के अवसरों तक अधिक लचीलापन और पहुँच प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हाइब्रिड कार्य मॉडल महिलाओं को पारंपरिक, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं की तुलना में अपने समय के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण कारक महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करके कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बेन एंड कंपनी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटलीकरण की लहर कार्यबल की गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और महिलाओं के बीच सूक्ष्म उद्यमशीलता एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है। वर्तमान में 13.5 से 15.7 मिलियन महिला–स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जो सभी भारतीय व्यावसायिक उपक्रमों का प्रभावशाली 20 प्रतिशत है। यह पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह परिवर्तन डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर निर्भर करता है, क्योंकि वे महिला उद्यमियों के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम करने की क्षमता के माध्यम से समानता लाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से मोबाइल फोन का महत्व बढ़ गया है। ये न केवल महिला उद्यमियों को बाजारों से जोड़ने और बहुभाषी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अमूल्य उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि सामूहिक कार्रवाई को भी सुगम बनाते हैं। मार्गदर्शन, नए कौशल सीखने और मौजूदा कौशलों को बेहतर बनाने के कार्यक्रम महिला उद्यमियों को बदलती डिजिटल दुनिया में फलने–फूलने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षमताएँ और समझ प्रदान करके उनकी मदद करते हैं। डिजिटल परिवेश में यह निरंतर परिवर्तन वित्तीय आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करता है और एक ऐसा व्यावसायिक परिदृश्य तैयार करता है जहाँ विविधता और समावेशिता अधिक होती है।

भारत में डिजिटल क्रांति ने वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को सीखने, प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुए हैं। वित्तीय संसाधनों तक पहुँच में आसानी ने महिलाओं को उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अभूतपूर्व वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने और प्रशिक्षण के ढेरों अवसर प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं को विभिन्न वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, ई–कॉमर्स विकल्पों जैसे डिजिटल बिजनेस मॉडल के आगमन ने महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को अपेक्षाकृत आसानी से बाजार में लाने का अधिकार दिया है। सरकार ने भी महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, वाणिज्य और डिजिटल लेनदेन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) एक उल्लेखनीय पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल खाई को पाटना है, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करना, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल हैं।

भारत में तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जिसमें कार्यबल में उनकी संख्या में वृद्धि, दूरस्थ कार्य के कारण बेहतर कार्य–जीवन संतुलन, और उद्यमिता के नए अवसरों का खुलना शामिल है। सरकारी पहल और शिक्षा में प्रगति से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालाँकि, नेतृत्व के पदों पर अभी भी कुछ कमी है। भारत के तकनीकी उद्योग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 32 प्रतिशत तक पहुँच गया है। डिजिटल परिवर्तन ने दूरस्थ कार्य के अवसर खोले हैं, जिससे महिलाओं को घर से काम करते हुए पेशेवर जीवन और घरेलू जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद मिली है। सरकार और निजी क्षेत्र महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे स्टार्टअप और अन्य व्यवसायों में सफल हो रही हैं। कई क्षेत्रों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। तकनीकी और डिजिटल साक्षरता तक महिलाओं की पहुँच को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो उनकी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

7.2. ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी परिवर्तन : ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की अधीनता वर्तमान समय में भी बहुआयामी है। ग्रामीण भारत में यह अधीनता भू–स्वामित्व, उत्पादन के साधनों में भागीदारी, आर्थिक स्वावलंबन में भूमिका, परिवार के मुखिया जोकि सामान्यतः घर का उम्र में सबसे बड़ा पुरुष ही होता है या उसके न होने पर सबसे बड़ा पुत्र होता है, सामाजिक रीति–रिवाज, अंधविश्वास आदि पर टिकी हुई है। तेजी से बदल रहे समय के सापेक्ष ग्रामीण भारत वर्तमान में भी बहुत धीमें सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है। आज भी ग्रामीण परिवेश का सामाजिक ताना–बाना लिंग आधारित पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के दौर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। भूस्वामित्व, पारिवारिक रणनीति और कृषि क्षेत्र में उत्पादन की विधियों में हो रहा बदलाव ग्रामीण महिला द्वारा उसके

परिवार दिए जा रहे योगदान को बहुत प्रभावित करता है। एक ग्रामीण परिवार में सदैव ही महिला की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी रहती है और सूक्ष्म परिवर्तन भी उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। जेंडर आधारित श्रम विभाजन में महिला पति व परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल, भोजन पकाना, बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि बेहद महत्वपूर्ण परंतु गैर आर्थिक व पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से कम महत्व के काम ही करती है। ग्रामीण परिवेश में तकनीकी परिवर्तन को समझने की दृष्टि से पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखने की विशेष आवश्यकता है।

महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि संबधी गतिविधियों में सक्रिय हैं। देश के ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र ही आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इनमें से 33 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जबकि 48 प्रतिशत पारिवारिक खेती में है। हालांकि, उन्हें इन गतिविधियों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे उनकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं के पास प्रायः शिक्षा और कौशल का अभाव होता है और औसत मजदूरी के मामले में भी उन्हें असमानता झेलनी पड़ती है। स्पष्ट है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि पर ही है। किसी परिवर्तन का प्रभाव उससे संबंधित लोगों पर पड़ता ही है। कृषि पर ग्रामीण महिलाओं की अतिनिर्भरता की वजह से कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन का गहरा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ना लाजिमी है।

वर्ष 1967–68 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण वर्ष रहा और भारत को खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनाने का स्वप्न देखा गया। इस सपने को साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के प्रयोग का रास्ता चुना गया। कृषि में वैज्ञानिक अनुसंधान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुयी। इस प्रकार हरित क्रांति के दौर में प्रवेश कर समय के साथ भारत ने तकनीकी परिवर्तनों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर यह प्रगति आज भी जारी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रयोग से भूमिहीन मजदूर, विस्थापित मजदूर, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, पर्यावरण व जैव विविधता संकट, स्वास्थ्य संकट तथा गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या को बढ़ावा दिया है। इसका प्रभाव भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर पडा है। जहां हरित क्रांति से पहले खेती में मानव संसाधन के रूप में महिलाओं, भूमिहीन किसानों व पशुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वहीं हरित क्रांति के बाद खेती में मशीनों के प्रयोग ने ग्रामीण महिलाओं, खेतिहर गरीब मजदूरों एवं पशुओं को एक झटके में ही गौण बना दिया। इससे पहले एक निर्धन परिवार में महिलाएं अपने परिवार के भरण–पोषण और जीवनयापन के लिए पारिवारिक आय में अपना अहम योगदान दे रही थीं। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण (तकनीकी परिवर्तन) के कारण ग्रामीण महिलाओं की आय के साधन कम हो जाने से उनकी परिवार निर्वहन की क्षमता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए कृषि मशीनीकरण से पहले बैलों व भैंसों का विशेष महत्व था, जो उत्पादन के साधन के साथ पशुधन के रूप में भी महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण उन्हें बेचकर नकदी प्राप्त करते थे। कृषि मशीनीकरण के बाद बैल व भैंसे पशुधन नहीं रहे और न ही उनका कोई आर्थिक लाभ रहा। उनके हिस्से के सभी काम मशीनों ने छीन लिए। अब बैलों व भैंसों को जंगली व आवारा पशु कहा जाता है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तनों ने पशुओं की दशा पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डाला है और इसका परोक्ष प्रभाव महिलाओं पर भी पडा है।

कृषि में तकनीकी परिवर्तन (मशीनों का प्रयोग होने) से बड़ी जोत के किसान पुरुष भूस्वामियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होने के कारण लाभ की कृषि जेंडर आधारित विभेदीकरण में अपनी भूमिका निभाने लगी। इसने बड़ी जोत के पुरुष भूस्वामियों के वर्चस्व को एकाएक बढ़ा दिया। बड़ी जोत के पुरुष भूस्वामी अपने परिवार की महिलाओं से कोई भी कृषि कार्य कराना अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। जहां तकनीकी परिवर्तन से पहले सभी कृषि कार्य एक समान समझे जाते थे, वहीं तकनीकी परिवर्तन के बाद कृषि कार्यों में भी लैंगिक व सामाजिक विभेद किया जाने लगा। इससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा और जातिगत भेदभाव को भी मजबूती मिली। तकनीकी परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन महिला किसान (जिनमें सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की है) सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। कृषि मशीनीकरण के बाद निम्न दर्जे के समझे जाने वाले कृषि कार्य भूमिहीन महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के हिस्से में शेष रह गए। इस कारण से भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति आर्थिक व सामाजिक दोनों ही रूप से कमजोर हुई है। देश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तकनीकी परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ा है, वहां कृषि कार्यों में महिला भागीदारी में भी गिरावट आई है। इसने ग्रामीण महिलाओं के खाली समय में वृद्धि की है और महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में महत्ता को घटाया है। जबकि कृषि में तकनीकी परिवर्तन से छोटी जोत के महिला व पुरुष भूस्वामियों पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मशीनों के उच्च दाम उनकी

पहुंच से बाहर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर सरकारी प्रयास भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं लाए हैं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए तकनीकी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। गांव में रहने वाली भूमिहीन महिला मजदूरों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति, छोटी जोत वाले कृषकों की स्थिति को तकनीकी प्रयोग ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जब मानव संसाधन की जगह तकनीकी ने ली तो इनके प्रयोग से सृजित रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हुए हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण जनित समस्याओं के कारण महिलाएं स्वयं की खेती के लिए या फिर खेती में मशीनीकरण के प्रयोग से सृजित हुए सीमित नवीन रोजगारों यथा ट्रैक्टर से जुताई, ट्रैक्टर ट्राली से माल ढुलाई, फसल कटाई के थ्रेसर इत्यादि के लिए अयोग्य थीं। इस तरह ग्रामीण तकनीकों के प्रयोग में पुरुषों का लगभग एकाधिकार है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में देश के 21 राज्यों में केवल 4 प्रतिशत महिला ड्राइवर पंजीकृत थीं, जबकि सितंबर, 2019 तक कुल ड्राइविंग लाइसेंस में केवल 6.76 प्रतिशत महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल ड्राइविंग गतिविधि मुख्यतः पुरुष गतिविधि है और ये आंकड़े संपूर्ण भारत की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2020–21 में भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) केवल 25.1 प्रतिशत थी, जोकि 2004–05 में 42.7 प्रतिशत थी। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में काफी कम है। इसके अनुसार वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के लिए एलएफपीआर 46 प्रतिशत थी।

ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार भारत में महिलाओं की एलएफपीआर 2004–05 में 42.7 प्रतिशत थी, जो कि 2021 में मात्र 25.1 प्रतिशत रह गया है। यह इस समयावधि में तीव्र आर्थिक विकास के बाद भी बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा नौकरी छोड़ने को दिखाता है। घटती महिला श्रम भागीदारी के साथ महिलाओं के आय साधनों में कमी एवं आय में असमानता को बढाती है। वर्ष 2019–20 में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60 प्रतिशत के पास नियमित वेतन और स्वरोजगार की नौकरी थी, जबकि समान आयु वर्ग की केवल 19 प्रतिशत महिलाओं को नियमित और स्वरोजगार था। शहरी क्षेत्रों में भी नियमित और स्वरोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं की आय में काफी अंतर है। पुरुषों की औसत कमाई महिलाओं की कमाई का लगभग 2.5 गुना है। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की रोजगार व आय की स्थिति का आंकलन सहज ही लगाया जा सकता है। वर्ष 2010–11 में भारत की कुल जोतों में महिला परिचालित जोतों की संख्या 12.78 प्रतिशत थी और 2015–16 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं के पास भूस्वामित्व भी बहुत कम है। चूंकि ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव अधिकांशतः कृषि में तकनीकी परिवर्तन से जुड़ा है, क्योंकि 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का साधन कृषि है, लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत (सन् 1999) से लगातार लगभग 2000 किसान प्रतिदिन कृषि व्यवसाय त्याग रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान भी घट रहा है। यह वर्ष 1951 में 60 प्रतिशत के मुकाबले घटकर अब 20 प्रतिशत से कम रह गया है, जिसके चलते कृषि की घटती महत्ता निसंदेह कृषि स्टार्टअप्स एवं उद्यम विकास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन का मिश्रित प्रभाव देखने मिल रहा है।

7.3. तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी : आंकड़े बताते हैं कि भारत के तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन नेतृत्व में अंतर बना हुआ है। भारत के तकनीकी संविदा कार्यबल में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। महिलाओं की भागीदारी 2020 में 9.51 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 27.98 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि डिजिटल बुनियादी ढाँचे में प्रगति, दूरस्थ कार्य के अवसरों तक पहुँच में वृद्धि एवं विविधता, समानता और समावेशी पहलों के विस्तार से प्रेरित है। शेपिंग वर्कफोर्स इक्विटी रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ने सभी क्षेत्रों में लैंगिक विविधता में सुधार लाने में सबसे अधिक प्रगति की है, जहाँ महिला कार्यबल का प्रतिनिधित्व 2020 में 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 38.3 प्रतिशत हो गया है। हालाँकि, प्रवेश स्तर पर सुधार के बावजूद, वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है, जो 2020 में 11.43 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 13.60 प्रतिशत हो गया। इसके बावजूद, जीसीसी में वेतन असमानता एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जीसीसी में कुल लैंगिक वेतन अंतर 16.10 प्रतिशत है, जबकि वरिष्ठ स्तरों पर यह अंतर 16.4 प्रतिशत स्पष्ट है। उच्च–मांग वाली तकनीकी भूमिकाओं में लैंगिक वेतन अंतर 22.2 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, जबकि गैर–तकनीकी भूमिकाओं में यह अंतर काफी कम यानी केवल 0.8 प्रतिशत है। आईटी सेवा क्षेत्र में महिला कार्यबल भागीदारी 2020 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 21.2 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, यह वृद्धि महत्वपूर्ण करियर प्रगति में परिवर्तित नहीं हुई है, क्योंकि मध्य–स्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2020 में केवल 4.13 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 8.93 प्रतिशत हो गया है, जो दर्शाता है कि

महिलाओं को प्रवेश–स्तर की भूमिकाओं से आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उतार–चढ़ाव का रुझान देखा गया है। वर्ष 2021 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.36 प्रतिशत था, जो 2024 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 7.39 प्रतिशत हो गया, लेकिन उसी वर्ष इसमें गिरावट देखी गई, क्योंकि वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत घटकर 6.91 प्रतिशत रह गया। आईटी सेवाओं में लैंगिक वेतन अंतर एक और चुनौती पेश करता है। जहाँ कुल वेतन अंतर 3.55 प्रतिशत है, वहीं मध्य स्तर पर यह बढ़कर 6.12 प्रतिशत और वरिष्ठ स्तर पर 8.34 प्रतिशत हो जाता है, जिससे आईटी सेवा क्षेत्र में महिलाओं की सीमित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को बल मिलता है। प्रवेश स्तर से आगे महिला प्रतिभाओं को बनाए रखने का संघर्ष प्रणालीगत चुनौतियों से प्रेरित है, जैसे पदोन्नति में अचेतन पूर्वाग्रह, मार्गदर्शन के अवसरों की कमी और कार्यस्थल की नीतियाँ जो महिलाओं के दीर्घकालिक करियर विकास का पूरी तरह से समर्थन नहीं करतीं। रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र में गैर–तकनीकी भूमिकाओं में वेतन असमानता उल्लेखनीय रूप से 18.3 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

यद्यपि हम तकनीकी संविदात्मक भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति से उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिलाओं को अधिक नियुक्त करने के दृष्टिकोंण से आगे बढ़े। नेतृत्व के पदों पर प्रतिनिधित्व की कमी और लगातार लैंगिक वेतन अंतर दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। कंपनियों को ऐसे वातावरण बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहाँ महिलाएँ न केवल प्रवेश कर सकें, बल्कि अपने करियर में आगे बढ़ कर नेतृत्व कर सकें, क्योंकि कार्यबल समानता एक विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक आवश्यकता है। जो संगठन लैंगिक समावेशिता को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें विविध दृष्टिकोणों, मजबूत नवाचार और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन का लाभ मिलता है।

8. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे शिक्षा, आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक पहुँच आसान होती है, जिससे महिलाएं पारंपरिक बाधाओं को पार कर सकती हैं। यह दूरस्थ कार्य और ऑनलाइन उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, स्वास्थ्य निगरानी और टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है। स्वास्थ्य ट्रैकिंग ऐप्स और उपकरणों से महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं। तकनीक मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है। ऑनलाइन संसाधनों और प्लेटफार्मों के माध्यम से, महिलाएं अब कहीं से भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। यह तकनीक के उपयोग और तकनीकी क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे कौशल निर्माण में सहायता मिलती है। तकनीक ने दूरस्थ कार्य को संभव बनाया है, जिससे महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए पेशेवर भूमिकाओं में शामिल हो सकती हैं। ऑनलाइन समुदाय महिलाओं को एक–दूसरे का समर्थन करने और अपना अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और विस्तारित करने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय ऐप महिलाओं को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

डिजिटल युग का उदय भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में परिवर्तनकारी साबित हुआ है, जिससे उन्हें रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ी है। दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य संरचनाओं को अपनाने से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि तकनीकी प्लेटफार्मों ने व्यवसाय शुरू करने की बाधाओं को कम किया है, जिससे आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिला है। वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण ने महिलाओं को शिक्षा और पूंजी प्राप्ति के अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनका वित्तीय सशक्तिकरण बढ़ा है। हालांकि, समाज के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ाना होगा।

मानवीय आधार पर तकनीकी परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक व सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए समानता, तकनीकी का स्वयं प्रयोग, तकनीकी का आर्थिक लाभ, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में भागीदारी, तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी के उनके स्वास्थ्य व सामाजिक जीवन सकारात्मक प्रभाव अभी दूर की कौड़ी हैं। वर्तमान भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन केवल सरकारों का दायित्व है। ग्रामीण भारत में सामाजिक जीवन में परिवर्तन का जिम्मा कभी भी स्थानीय लोगों ने नहीं उठाया अन्यथा ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन के दुष्प्रभाव अधिक न पड़ते। समस्त भारत में व्याप्त लैंगिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी, श्रम शक्ति में ग्रामीण महिलाओं की कम भागीदारी इत्यादि संकेतों से पता चलता है कि सरकारों द्वारा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के जो भी प्रयास हुए हैं। वे नाकाफी हैं और उनसे आशाजनक परिणाम नहीं आए हैं। आज भारत जब तकनीकी परिवर्तन, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी सहित के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं की विषम स्थिति चिंताजनक है।

धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिए मैं छोड़ती–हाँफती–भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर
अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ!

भारतीय समाज में नारी की स्थिति को बयां करती निर्मला पुतुल की उक्त पंक्तियाँ समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। हम भले यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 78 सालों में हमारी महिलाएँ चाँद पर पहुँच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, बड़ी–बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया हैय उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। यह भी सत्य है कि जब भी कोई स्त्री उपलब्धियों के हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तो उसे अनगिनत रीति–रिवाजों, परंपराओं की दुहाई देकर उसे समाज के नेपथ्य में जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।

आज भी देश में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं, पढ़ाई–लिखाई के दौरान बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़कों की संख्या से बहुत ज्यादा है। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, वर्ष 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। देश की कुल आबादी में 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 17 प्रतिशत है। यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं और 50 प्रतिशत महिलाएँ कार्यबल शामिल हो जाएँ, तो भारत अपनी मौजूदा विकास दर को 1.5 प्रतिशतांक प्रतिवर्ष बढ़ा सकता है।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में समय के साथ निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती आदि महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल 14 फीसदी महिलाएँ हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती हैं, लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं। न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

कुल मिलाकर, आजादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन मंजिल से अभी मीलों दूर हैं, क्योंकि महिला प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। हालांकि तकनीकी अनुप्रयोगों के माध्यम से महिला प्रगति और सशक्तिकरण की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, तकनीक भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी को नए सिरे से लिख रही है, उन कक्षाओं से लेकर जहाँ लड़कियाँ रोबोटिक्स सीखती हैं, उन गाँवों तक जहाँ माताएँ टेलीमेडिसिन का उपयोग करती हैं, और जन धन खातों तक जहाँ सीधे महिलाओं के हाथों में पैसा जाता है। समावेशी रूप से डिजाइन किए जाने पर डिजिटल उपकरण जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करे। यद्यपि संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन समाज अपने नियमों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। इसके लिए हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन् उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएँ भी शेष दुनिया की महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँय हमें महिला नवोन्मेषकों और पेशेवरों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने और पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान माने जाने वाले उद्योगों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. देवव्रत (संपादक,1962)। व्याकरण महाभाष्यम् (भाग–15), हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल, झज्झर, रोहतक, हरियाणा।
2. योगी सत्यभूषण (संपादक, 1966)। मनुस्मृति, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
3. केलकर, गोविन्द (1881)। इम्पैक्ट आफ ग्रीन रिवोल्यूशन आन वीमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन एण्ड सैक्स। सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, पृष्ठ–152।
4. श्रीवास्तव, सुधीर (1985)। यूमेन इम्पावरमेंट। टाटा मैग्राहिल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–87।
5. माथुर, दीपा (1992)। वूमेन फैमिली एंड वर्क। रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ–1381
6. सिंह, सोरन (1997)। सिडियूल कास्ट इन इंडिया एंड डाइमेंशन ऑफ सोशल चेंज। ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–182।
7. आहुजा, राम (1999)। भारतीय सामाजिक व्यवस्था। रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ–186।
8. सक्सेना, किरण (2001)। विमेन्स एण्ड पॉलिटिक्स। ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ–34।
9. आहुजा, राम (2002)। भारतीय समाज। रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–321।
10. सिंह, दिनेश कुमार (2002)। रूरल वूमेन इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। विवेकानन्द एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, आगरा, पृष्ठ–87।
11. सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानन्द (संपादक, 2004)। यजुर्वेद, विजय कुमार हासानन्द, दिल्ली।
12. मिश्र, मण्डन (2009)। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।
13. शर्मा, मुकुन्द (2008)। निरुक्त, (विवृत्ति व्याख्या), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।
14. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (संपादक, 2010)। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत, हरियाणा।
15. शर्मा, डा. गंगा सहाय (संपादक, 2015)। अथर्ववेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
16. शर्मा, डा. गंगा सहाय (संपादक, 2016)। ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
17. शर्मा, ए. (2019)। भारतीय समाज में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति। समाजशास्त्र प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. शेखर, पी. (2019)। बाल विवाह और भारतीय समाज : ऐतिहासिक दृष्टिकोण। शैक्षिक प्रकाशन, कोलकाता।
19. सिंह, राम समुझ (2019)। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। क्वेस्ट जर्नल्स, नई दिल्ली पृष्ठ–85।
20. वर्मा, एस. (2020)। औपनिवेशिक भारत में महिला सुधार : सती प्रथा का अंत। ऐतिहासिक शोध प्रकाशन, जयपुर।
21. दिवेदी, आर. (2020)। भारतीय समाज में महिलाओं की पारंपरिक स्थिति। सामाजिक अध्ययन संस्थान, वाराणसी।
22. गुप्ता, एस. (2020)। औपनिवेशिक सुधार और महिला अधिकार : एक ऐतिहासिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन प्रकाशन, जयपुर।
23. चक्रवर्ती, ए. (2020)। औपनिवेशिक काल में शिक्षा और समाज सुधार। भारतीय अध्ययन प्रकाशन, पटना।
24. शुक्ला, ए. (2021)। आर्य समाज और महिला सशक्तिकरण । शैक्षिक अध्ययन संस्थान, पटना।
25. मालवीय, एन. (2021)। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशन, वाराणसी।
26. तिवारी, ए. (2021)। सती प्रथा और सामाजिक सुधार आंदोलन। भारतीय ऐतिहासिक परिषद, दिल्ली।
27. मेहरा, बी. (2022)। लैंगिक सिद्धांत और औपनिवेशिक नीतियां। लैंगिक अध्ययन प्रकाशन, मुंबई।
28. शर्मा, पी. (2022)। पंडिता रमाबाई और महिला सशक्तिकरण का इतिहास। महिला अध्ययन केंद्र, दिल्ली।
29. सिंघानिया, आर. (2022)। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सामाजिक प्रभाव। लैंगिक अध्ययन संस्थान, मुंबई।
30. सिंह, आर. (2022)। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का प्रभाव। सामाजिक विज्ञान अध्ययन, जयपुर।
31. दत्ता, एस. (2022)। एनी बेसेंट और भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण। भारतीय इतिहास परिषद, कोलकाता।
32. मिश्रा, के. (2022)। धार्मिक पुनर्जागरण और महिलाओं की स्थिति का परिवर्तन। सामाजिक सुधार प्रकाशन, जयपुर।
33. गुप्ता, वी. (2023)। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान। लैंगिक अध्ययन प्रकाशन, मुंबई।
34. कश्यप, पी. (2023)। भारतीय महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष । महिला अध्ययन केंद्र, दिल्ली।
35. कुमार, ए. (2023)। शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता : औपनिवेशिक संदर्भ। शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
36. कृष्णन, डी. (2023)। महिला सशक्तिकरण के औपनिवेशिक पहलू। भारतीय ऐतिहासिक संस्थान, चेन्नई।
37. चौधरी, आर. (2023)। औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की भूमिका का सांस्कृतिक विश्लेषण। ऐतिहासिक अध्ययन प्रकाशन, कोलकाता।
38. दुवे, वी. (2023)। भारतीय समाज में धार्मिक विचारधारा और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक अध्ययन संस्थान, मुंबई।
39. बनर्जी, ए. (2023)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिला अधिकारों का विकास। सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।
40. अंकिता (2024)। प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण : एक गौरवशाली अतीत की खोज। शोध साड़ीः एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल, 2024। 3(3)ः 347–362।

*****

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह एवं सिंह, डॉ. अमित कुमार (2025)। भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 01–12।